न्यायालय, जिला दण्डाधिकारी, पटना
(जिला शस्त्र शाखा)
—: आदेश :—

30-04-2013

विविध शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या—09—330/2010 में आवेदक **श्री सुरेश सिंह**, पिता—श्री भोला सिंह, सा0—वाणी मुहल्ला, नियर सीता मंदिर, पो0—झाऊगंज, थाना—खाजेकलां, जिला—पटना से प्राप्त एक एन0पी0बोर रिवाल्वर/पिस्टल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन—पत्र पर वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त कर सुनवाई की गयी।

सुनवाई की पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक—30.04.2013 को आवेदक अनुपस्थित। आवेदक द्वारा पूर्व समर्पित लिखित बयान में अंकित किया गया है कि वे बिजली बोर्ड में ठीकेदार हैं और बी0एस0ई0बी0 के साथ हुए करार के आधार पर पूरे राज्य में इलेक्ट्रॉनिक मीटर का अधिष्ठापन कार्य करते हैं। उनके द्वारा यह भी अंकित किया गया है कि पूर्व में उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। उनके द्वारा अपने जान—माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के ज्ञापांक—399/गो0, दिनांक—27.04.2012 का अवलोकन किया गया। आवेदक के एक एन0पी0बोर रिवाल्वर/पिस्टल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र जाँचोपरान्त अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, पटना सिटी से प्राप्त हुआ है, जिसे मूल में अग्रसारित कर भेजी गयी है। पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी द्वारा थानाध्यक्ष, केसरिया का जाँच प्रतिवेदन संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया है। थानाध्यक्ष, खाजेकलां के जाँच प्रतिवेदन में अंकित किया गया है कि आवेदक विद्युत विभाग में ठीकेदारी का काम करते हैं तथा खाजेकलां थाना कांड सं0—135/9, धारा—307, 120 (बी0), 34 भा0द0वि0 आर्म्स एक्ट की घटना घटी है, जो अनुषंधान अन्तर्गत है। थानाध्यक्ष, आलमगंज द्वारा अंकित किया गया है कि थाना अभिलेख में इनके विरूद्ध कोई शिकायत दर्ज नहीं पायी गयी है। अतः आवेदक के अभ्यावेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर अग्रसारित एवं अनुशंसित किया गया।

आवेदक के द्वारा अपने शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पर कार्रवाई लंबित रहने के कारण माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0—483/2011 दायर किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय के द्वारा दिनांक—29.06.2011 को आदेश पारित करते हुए आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पर एक वर्ष के अन्दर विचार करते हुए अंतिम आदेश पारित करने का निदेश दिया गया है। नियत समय सीमा में अंतिम आदेश पारित नहीं होने के कारण आवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एम0जे0सी0 सं0—4808/2012 भी दायर किया गया है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक द्वारा उपस्थित होकर बताये गये तथ्यों एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी को प्रतीत होता है कि आवेदक को अपने जान—माल की सुरक्षा के बिन्दु पर भय/खतरा है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 3, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक द्वारा समर्पित लिखित

बयान उपस्थित होकर बताये गये तथ्यों, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0–V-11016/16/ 2009, शस्त्र दिनांक–31.03.2010 में निहित निर्देश तथा आवेदक द्वारा समर्पित बयान के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त श्री सुरेश सिंह, पिता–श्री भोला सिंह, सा0–वाणी मुहल्ला, नियर सीता मंदिर, पो0–झाऊगंज, थाना–खाजेकलां, जिला–पटना को उनके जान–माल की सुरक्षा हेतु सम्पूर्ण बिहार राज्य क्षेत्राधिकार के लिए मान्य एक एन0पी0बोर रिवाल्वर/पिस्टल शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

श्री सिंह को आदेश दिया जाता है कि वे विहित सरकारी शीर्ष में अपेक्षित अनुज्ञप्ति शुल्क कोषागार चालान के माध्यम से जमा कर चालान की मूल प्रति, पासपोर्ट साईज का दो अभिप्रमाणित फोटो एवं एक सादी अनुज्ञप्ति पुस्त अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत कर शस्त्र पंजी में प्रविष्टि कराने के उपरान्त उक्त अनुज्ञप्ति पुस्त प्राप्त कर लेंगें।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला शहरी प्रभाग

पत्र सं० 206 पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्राप्त आदेश के आलोक में पत्र की प्रतिलिपि आवेदक एवं संबंधित थानाध्यक्ष को भेजने हेतु प्रेषित की जाती है।

सहमति की स्थिति में प्रारूप अवलोकनार्थ हस्ता०

अनुमोदनार्थ

[illegible]
16/5/13
16/5/2013

श्री [illegible]

कृपया उपर्युक्त टिप्पणी।

प्रारूप अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ

[illegible]
20/05/13

[illegible] 20/5/13

जिला शहरी प्रभाग

~~[illegible]~~ MJC No - 4808/12 [illegible] थाना [illegible] के मामले में कारण [illegible] [illegible] तथा [illegible] प्रेषित की जाती है।

सहमति की स्थिति में प्रारूप अवलोकनार्थ हस्ता०

अनुमोदनार्थ

[illegible]
14.6.13
[illegible]